न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–15/2017

उनवान

1– रतन लाल पिता मोहन लाल बैरवा, निवासी प्रतापनगर, डाईट रोड, तेजाजी चौक के पीछे , चितोडगढ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1 मोहन लाल पिता मांगू उर्फ मांगलाल बैरवा, निवासी प्रतापनगर, डाईट रोड, तेजाजी चौक के पीछे , चितोडगढ (राज.)

2– काली बाई पत्नि मोहन लाल बैरवा, निवासी प्रतापनगर, डाईट रोड, तेजाजी चौक के पीछे , चितोडगढ (राज.)

3– अनिता पिता मोहन लाल बैरवा, निवासी प्रतापनगर, डाईट रोड, तेजाजी चौक के पीछे , चितोडगढ (राज.)

4– रवि पिता मोहन लाल बैरवा, निवासी प्रतापनगर, डाईट रोड, तेजाजी चौक के पीछे , चितोडगढ (राज.)

5– गोविन्दा कनर्जी पुत्र किशन कनर्जी बसोर, सुलभ काम्प्लेक्स के पास, मकान नं.– 150, संजयनगर शहजानाबाद तहसील हुजुर जिला– भोपाल (एम.पी)

6– राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार तहसील हुरडा ।

–विपक्षीगण

उपस्थित :– श्रीमति निर्मला जैन, वकील प्रार्थी
श्री धमेन्द्र आमेटा , वकील अप्रार्थी–1 से 4

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 , राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

–:आदेश:–

दिनांक– 01.06.2018

1– प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का तस्वारिया तहसील हुरडा में स्थित खाता संख्या पुराना 19 नया 105 की आराजी नम्बर– 620, 621, 622, 623, 624, 625, 653, 656, 657, 658, किता 10 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थी के पिता मोहन लाल पिता मांगू उर्फ मांगी लाल बैरवा व केसर , मन्जू पुत्री मांगू बैरवा के नाम से नामान्तकरण संख्या– 705 दिनांक 17.06.2016 से विरासत से आई है।

2– उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता का 1/6 हिस्सा होकर तद्नुसार ही मौके पर कब्जेकाश्त प्रार्थी के पिता के समय से ही

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

चली आ रही है ।

3– आराजी मुतदाविया प्रार्थी के दादा के समय की होकर पैतृक व पुश्तैनी आराजीयात है तदनुसार ही कब्जेकाश्त करते आ रहे है ।

4– सजरे की रुह के अनुसार मोहनलाल पिता मांगू उर्फ मांगीलाल का आराजीयाज में 1/6 हिस्सा बहैसियत खातेदारी से चला आ रहा है ।

5– नामान्तकरण संख्या– 705 दिनांक 17.06.2016 से केसर व मन्जू पुत्री मांगू का नाम भी खाते में खातेदारी से दर्ज हुआ है जिसके अनुसार केसर व मन्जू पुत्री मांगू का भी 1/6 , 1/6 हिस्सा आराजी मुतदाविया में बखूबी प्रकट है तथा इनके हक हिस्से से प्रार्थी को कोई प्रार्थना नही है । इसी अनुरुप इनसे विप्रार्थना नही होने से इन्हें पक्षकार स्थापित किया गया है । मुख्यतः विप्रार्थना मोहनलाल पिता मांगू उर्फ मांगीलाल के 1/6 हिस्से में से ही प्रार्थी अपनी दादरसी प्राप्त करना चाहता है ।

6– आराजी मुतदाविया पैतृक व पुश्तैनी आराजीयात होने से मुझ प्रार्थी के पिता मोहन लाल के 1/6 हिस्से से प्रार्थी एवं विपक्षी नम्बर– 1,2,3 व 4 प्रत्येक का भी 1/4 हिस्सा होकर इसी अनुरुप ही मौके पर हक अधिकारों के साथ संयुक्त रुप से कब्जेकाश्त चले आ रहे है ।

7– आराजी मुतदाविया पैतृक व पुश्तैनी होते हुये भी विपक्षी नम्बर– 1 द्वारा अधिकारों से परे जाकर शामलाती हक कब्जेयाबी की 1/6 हिस्से की आराजीयात को अकेले स्वयं के द्वारा दिनांक 26.10.2016 को बिना बताये जरिये रजिस्टर्ड बैचान विपक्षी नम्बर– 5 गोविन्द कनर्जी को अवैधानिक एवं अनाधिकृत रुप से अधिकारों से परे जाकर 1/6 हिस्से को विपक्षी नम्बर– 5 के नाम से गलत बैचान कर दिया है जो कि प्राथमिक रुप से ही प्रार्थी एवं विपक्षी नम्बर– 3 व 4 के अधिकारों के मुकाबले शून्य होकर अवैधानिक है ।

8– आराजी मुतदाविया में पैतृक व पुश्तैनी सम्पति होने से विपक्षी नम्बर– 1 के 1/6 में प्रार्थी का 1/4 विपक्षी संख्या– 3 व 4 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा होते हुये भी बिना विभाजन कराये आराजीयात बेचान से खुर्द बुर्द किया जाना न्यायसंगत नही है एवं बेचान से विपक्षी नम्बर– 5 को कोई हक खातेदारी अधिकारी भी आराजी मुतदाविया में प्राप्त नही हो सकते है ।

ग्रक कलेक्टर
. O.) गुलाबपुरा
ला-भीलवाड़ा

9– सजरे की रुह से विपक्षी नम्बर– 1 को 1/6 में से प्रार्थी का 1/4 एवं विपक्षी नम्बर– 1 व 2 का 1/4 तथा विपक्षी नम्बर– 3 व 4 का प्रत्येक का 1/4 हिस्से से हक खातेदारी घोषणा कराई जाना नितान्त आवश्यक है ।

Scanned by CamScanner

विपक्षी नम्बर– 5 गलत एवं अवैधानिक एवं तथाकथित बैचान के आधार पर प्रार्थी के हक अधिकारों को आये दिन मौके पर आकर चुनौती देता रहता है तथा आये दिन मरने मारने पर उतारु रहता है इसके लिए विपक्षी नम्बर– 5 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है कि वह मौके पर प्रार्थी के 1/4 हिस्से की आराजी में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करायें । यदि विपक्षी संख्या– 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वह अपने मनसूबे में कामयाब हो जावेगा जिससे प्रार्थी को असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा ।

10– अन्त में अंकित किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक प्रार्थी खिलाफ विपक्षीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की पारित फरमाई जावें कि ताफैसला मुकदमा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का तस्वारिया तहसील हुरडा में आराजी नम्बर– में स्थित खाता संख्या पुराना 19 नया 105 की आराजी नम्बर– 620, 621, 622, 623, 624, 625, 653, 656, 657, 658, किता 10 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा स्थित होकर उक्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर– 1 के 1/6 हक हिस्से में से प्रार्थी के 1/4 हिस्से की आराजी में विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही करें, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें और ना ही उक्त आराजीयात का बैचान करें । यदि विपक्षी नम्बर– 5 उक्त आराजी को बेचान में सफल हो जावें तो पुन– अपने खर्चे पर रिस्टोर की डिकी सादीर फरमाई जावें ।

11– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर विपक्षी संख्या– 01 से 04 की और से उनके अधिवक्ता श्री धमेन्द्र आमेटा उपस्थित हुये । जिनके द्वारा जवाब हेतु समूचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया । अप्रार्थी संख्या–5 के सम्मन बाद सर्विस प्राप्त नही हुये है । विपक्षी संख्या– 6 पैरोकारराज के द्वारा जवाब का अवसर चाहा गया ।

12– तत्पश्चात् पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट तस्वारिया पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष की बहस को सूनी गई । वक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण का पाबन्द फरमाया जावें ।

कलेक्टर
) गुलाबपुरा
भीलवाड़ा

13– जबकि अप्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थी रतन लाल के द्वारा अपने हक हिस्से की आराजीयात को बैचान कर दी गई है । अब वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही होने तथा कोई हक हिस्सा शेष नही रहने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें ।

Scanned by CamScanner

14– मैंने वकील उभयपक्ष की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा हैं।

15– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति जमाबंदी संवत् 2062 से 2065 मौजा मौजा हरिपुरा पटवार हल्का तस्वारियॉ के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 620, 621, 622, 623, 624, 625, 653, 656, 657, 658, किता 10 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोडा, मांगू, पिता लालू , गंगाराम पिता गणेश, रामा, प्रताप, तेजू चमार हिस्सा बराबर साकिन देह खातेदार होना प्रकट आया है । तथा हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर किता 10 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि किशनी पुत्री मोडा, मांगू पिता लालू, मदन, मिश्रीलाल, पिता रामदेव , भॅवरी पुत्री रामदेव, चन्दा ना.बा. पुत्री रामदेव संरक्षक भाई मदन लाल, कालु पिता मुन्ना, ना.बा. बे. बि. रामदेव, रामा, प्रताप, पिता तेजू चमार हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड होना तथा विरासत से नामान्तकरण संख्या– 705 दिनांक 17.06.2016 से मांगू के बजाय मोहन लाल पिता मांगू, केसर, मन्जू, पुत्री मांगू बैरवा का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। तथा बेचान से जरिये नामान्तकण संख्या– 720 दिनांक 09.12.2016 मोहनलाल, पिता मांगू , केसर, मन्जू, पुत्रीयॉ मांगू के बजाय गोविन्दा कनर्जी पिता किशन कनर्जी जाति बसोल का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

16– यहॉ प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके दादा मांगू उर्फ मांगीलाल के समय की है जिनका विरासत का खाता उनके पिता मोहन लाल के 1/3 हक हिस्से से ही खोला गया है जबकि आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात होने से उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता के साथ उसका व उसके भाई व उसकी बहिन का भी समान हक हिस्सा निहित होना से नामान्तकरण 1/6, 1/6 हक हिस्से से खुलना चाहिये था । प्रार्थी के पिता के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपने अकेले के नाम दर्ज करा कर अप्रार्थी संख्या–5 को बेचान कर दी गई है जबकि उनको अपने हक हिस्से की आराजीयात से अधिक आराजीयात का बेचान करने का कोई अधिकार नही था। हालांकि यह तो मूल वाद में वाद साक्ष्य सबूत से तय होना है कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का कोई हक अधिकार प्राप्त होंगे या नही चुॅकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या– 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है यदि उन्हें रोका नही गया तो वह अपने खाते के बल पर प्रार्थी को उसके हक हकूक की आराजीयात से बेदखल कर देंगे तथा आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थी अपने मौरुसी हक अधिकारों से वंचित रहकर उसे भारी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा । लिहाजा प्रथम दृष्टिया मामला सुविधा व न्याय सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में इस स्टेज पर प्रकट होने से प्रार्थना प्रत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मौजा हरिपुरा पटवार हल्का तस्वारियॉ तहसील हुरडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर– 620, 621, 622, 623, 624, 625, 653, 656, 657, 658, किता 10 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । पत्रावली शुमार फैसल होकर मूलवाद के साथ सलंग्न रहे। आदेश आज दिनांक 01.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट तस्वारियॉ में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर साजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner